

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /334 /2021 दिनांक 29.01.2021

श्री विकास मारग (RJ0803), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर-1 को दिनांक 15.02.2021 से 01.03.2021 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 13.02.2021 से 14.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मारग की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट. प्रकरण), जयपुर महानगर-1 इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर-1 के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से  
29.01.2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/85/2013/ 823

दिनांक 29.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 को उनके पत्रांक 490 दिनांक 22.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री विकास मारग (RJ0803), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर-1
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर-1
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट. प्रकरण), जयपुर महानगर-1

  
सहायक रजिस्ट्रार